प्रेस विज्ञप्ति

बिहार पुलिस मुख्यालय

दिनांक–27.07.2026 (सं0–46)

दिनांक 25.07.2026 को सिवान शहर के जे0पी0 चौक के पास बंद समथर्कों के द्वारा घिर जाने के कारण वहाँ पर तैनात पुलिस कर्मियों में से एक सिपाही/47 अभिषेक कुमार के द्वारा जानमाल एवं सरकारी सम्पति की सुरक्षा हेतु 04 राउण्ड गोली ऊपर की तरफ बैरल कर के चलाया गया। इस घटना में भीड़ में सम्मिलित किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है।

सिपाही/47 अभिषेक कुमार को सिवान जिलादेश सं0–1144/26 द्वारा निलंबित कर दिया गया है तथा विभागीय कार्यवाही चलायी गयी है।

जहाँ तक 03 व्यक्तियों के फायरिंग में घायल होने का प्रश्न है इसमें से 02 व्यक्ति क्रमशः 1. मो0 आरिफ उम्र–17 वर्ष एवं 2. आकाश कुमार, उम्र–22 वर्ष, हाफिज चौक पर घायल हुए, जो जे0पी0 चौक से लगभग 1.5 कि0मी0 दूरी पर है। तथा 01 व्यक्ति 3. बुलेट कुमार गौड़ उम्र–20 वर्ष ट्राफिक थाना के पास घायल पाया गया, जो जे0पी0 चौक से लगभग 02 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है। चिकित्सकों के अनुसार तीनों घायल व्यक्त्यिों की हालत खतरे से बाहर है। इन तीनों को सिवान सदर अस्पताल में प्रारंभिक चिकित्सा के पश्चात् मेदांता हॉस्पीटल, पटना में भर्ती कराया गया है, जिसमें मो0 आरिफ को मेदांता अस्पताल से छुट्टी कर दी गयी है। इस संबंध में तीनों घायल व्यक्तियों के बयान पर निम्नलिखित काण्ड दर्ज किया गया हैः–

1. जख्मी बुलेट कुमार के फर्दबयान पर सिवान नगर थाना काण्ड सं0–721/26, दिनांक 26.07.2026
2. जख्मी आकाश कुमार के फर्दबयान पर सिवान नगर थाना काण्ड सं0–722/26, दिनांक 26.07.2026
3. जख्मी मो0 आरिफ कुरैशी के फर्दबयान पर सिवान नगर थाना काण्ड सं0–723/26, दिनांक 26.07.2026

xxxxxxxxxxx